बीस रुपये
TWENTY RUPEES

(208)

माननीय राजस्व मण्डल, ग्वालियर, म.प्र., केम्प उज्जैन.

प्रकरण क्रमांकः-   /2006 निगरानी.

R 1518-3/2006

श्री राकेश गहलोत अभिभाषक द्वारा उज्जैन केम्प 45 में पेश
7/8/06

भैंवरसिंह पिता पुरसिंह, जाति - राजपूत,
व्यवसाय - खेती, निवासी - ग्राम गुलड़ा,
तहसील आगर, जिला शाजापुर॰ [म०प्र०]
— आवेदक/अपीलांट.

विरुद्ध

1. रतनसिंह पिता पुरसिंह, जाति - राजपूत,
व्यवसाय - खेती, निवासी - ग्राम गुलड़ा,
तहसील आगर, जिला शाजापुर॰ [म०प्र०]
2. इंदरसिंह पिता पुरसिंह, जाति - राजपूत,
व्यवसाय - खेती, निवासी - ग्राम गुलड़ा,
तहसील सु आगर, जिला शाजापुर॰ [म०प्र०]
3. म.प्र. शासन द्वारा पटवारी ग्राम गुलड़ा.
— अनावेदक/रेस्पाण्डेंट.

निगरानी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता.
न्यायालय अपर आयुक्त महोदय, उज्जैन संभाग, उज्जैन
[पीठासीन अधिकारी - राजकुमारी खन्ना] के न्यायालय में
प्र०क्र० 233/05-06/अपील में पारित आदेश दिनांक 31.5.06
से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत ।

माननीय महोदय,

आवेदक अपीलांट की ओर से निम्नानुसार निगरानी आवेदन पत्र प्रस्तुत है :-

:: प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य ::

यह कि, रेस्पाण्डेंट रतनसिंह के द्वारा अपीलार्थी आवेदक के विरुद्ध एक आवेदन पत्र धारा 178 म.प्र. भू-राजस्व संहिता के अंतर्गत ग्राम

...2 पर

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- निगरानी/1518/एक/2006

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30-8-19	आवेदक व आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। प्रकरण का अवलोकन किया गया। आदेश पंजिकाओं के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक दिनांक 24/07/2018 से लगातार अनुपस्थित है। जिससे प्रतीत होता है कि आवेदक को प्रकरण को चलाये रखने में कोई रूचि नहीं है। अत: यह प्रकरण आवेदक की अरूचि में इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। (महेश चन्द्र चौधरी) सदस्य	